

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 22/32-2017 PGT-II (9) **Dated, Panchkula, the 01.05.2017**

Sanction is hereby accorded under Notification No. 15/136-2010 Co (1) dated 26th April, 2011 to re-employment of **Sh. Raj Phool, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Tihar Malik (Sonipat)** who has been retired on **30.04.2017**. He will be retained in the same institution from the date of actual joining upto **31.03.2018** or till the vacancy is filled in by promotion or fresh recruitment or till rationalization/adjustment/other posting whichever is earlier on the following terms and conditions:-

1. There is no adverse remarks regarding integrity during last three years service and service record during last three years is good or better than that.
2. No charge sheet U/R 7 or 8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules 1987 is pending against him.
3. Medical fitness Certificate from the Government Medical Officer.
4. No case involving moral turpitude is pending and no charges have been framed by the competent Court in respect of him.
5. The salary will be paid as per provisions of CSR Vol-II i.e. last pay drawn minus pension.

**VIRENDER SINGH
ADDITIONAL DIRECTOR, ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 02-05-17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonipat.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Tihar Malik (Sonipat).
- ✓ 3. Official Concerned.
4. Technology Officer (Local).


**ASSISTANT DIRECTOR PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

1665 IT Cell
2/05/17

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

Order No. 18/22-2016 PGT-I (2) Dated, Chandigarh, the 20.03.2017

Permission is hereby accorded to protect the pay of Sh. Madan Lal [209488], PGT Biology, Govt. Sr. Sec. School, Bhaklana (Hisar) in basic pay Rs. 12,880/- Basic Pay + Rs. 4800/- Grade Pay =Rs. 17,680/- w.e.f. 20.08.2014 under Rule 4.4 of Punjab Civil Service Rules Vol.-I, Part-I.

P.K. DAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh



OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, The 28/4/17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Hisar. The Service Book of the official is attached herewith.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bhaklana (Hisar)
5. Sh. Madan Lal [209488], PGT Biology, Govt. Sr. Sec. School, Bhaklana (Hisar).
6. I.T. Cell.


Superintendent PGT-I
for Director, Secondary Education,
Haryana, Panchkula


1660 IT Cell
02/05/17

HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT

Order No. 23/73-2016 HRG-II (4)

Dated, Panchkula, the 19.04.2017

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department instructions dated 28.10.2016 under Rule 7(4) of Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2016 **Sh. Ajay Yadav, Head Master, G.H.S., Musepur (Rewari)** is hereby granted 1st ACP in the ACPL-13 Scheduled-I Part-II of HCS ACPL pay matrix Rules, 2016 w.e.f. 01.06.2016 on completion of 8 years regular satisfactory service as Headmaster.

P.K. DAS,
ADDL. CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA



Endst No. Even

Dated, Panchkula the 2/5/2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. District Education Officer, **Rewari** w.r.t. his Ref. No. E-I-2017/825/231 dated 23.01.2017.
The service book of the official is hereby returned.
2. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Treasury Officer, **Rewari**.
4. **Head Master, G.H.S., Musepur (Rewari)**.
5. **Sh. Ajay Yadav, Head Master, G.H.S., Musepur (Rewari)**.
6. The Technology Officer, I.T. Cell.



SUPERINTENDENT, HRG-II
for DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

आदेश क्रमांक 5/91-2016 एच0आर0एम0ई0 (4)

दिनांक पंचकुला:- 10.03.2017

श्री संदीप मलिक, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना (हिसार) अब रा0उ0वि0 बुढाना (हिसार) को जिला शिक्षा अधिकारी हिसार की रिपोर्ट के आधार पर इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 5/91-2016 एच0आर0एम0ई0(4) दिनांक 03.02.2017 को नियम-7 के तहत चार्जशीट जारी की गई थी जिसमें कर्मचारी पर दिनांक 13.06.2016 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप थे। जिसका उत्तर कर्मचारी द्वारा निदेशालय में दिनांक 01.03.2017 को प्रस्तुत किया गया तथा साथ में मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 बुढाना तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना की लिखित स्टेटमेंट प्रस्तुत की गई।

मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 बुढाना द्वारा अपने पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 20.02.2017 के तहत लिखा गया कि कर्मचारी उनके विद्यालय में दिनांक 16.09.2016 से कार्यरत है तथा कर्मचारी का कार्य अब तक संतोषजनक व व्यवहार मधुर है, सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

इसी संदर्भ में खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना ने अपने पत्र क्रमांक ई-2-2017/2969 दिनांक 23.02.2017 के तहत लिखा गया कि कर्मचारी ने जिला शिक्षा अधिकारी हिसार के आदेश क्रमांक 351 दिनांक 18.03.2016 के संदर्भ में उनके कार्यालय में इसी तारीख को कार्यग्रहण कर लिया था तथा कर्मचारी दिनांक 13.06.2016 तक अवकाश पर था और इसके बाद कर्मचारी के पास अवकाश न होने के कारण तथा कर्मचारी स्वयं बीमार होने के कारण कार्यालय को सूचित नहीं कर सका, लेकिन कर्मचारी द्वारा अपनी बीमारी की सूचना उनके कार्यालय की ई-मेल पर डाली गई थी जो कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निकाले न जाने के कारण उन द्वारा कर्मचारी की अनुपस्थिति की सूचना उन द्वारा उच्च अधिकारीगण को नहीं भेजी गई। इससे प्रतीत होता है कि कर्मचारी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहा।

अतः उपरोक्त अंकित स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कर्मचारी द्वारा दिए गए उत्तर तथा उसके साथ प्रस्तुत किए गए उनकी पुत्री तथा उनके पिता के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मध्यनजर रखते हुए, मुख्याध्यापक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र तथा शिकायतकर्ता खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना द्वारा मानी गई गलती को मध्यनजर रखते हुए मामले में निष्कर्ष निकलता है कि कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं की गई है। इसलिए मैं मामले में सक्षम अधिकारी होने के नाते श्री संदीप मलिक, लिपिक के विरुद्ध जारी की गई नियम-7 की चार्जशीट को ड्राप करने के आदेश पारित करता हूं।

वरेन्द्र सिंह
 अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
 कृते: निदेशक सैंकेंडरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



पृष्ठांकुन कमांक सम

दिनांक, पंचकूला 11/5/17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना (हिसार)।
3. मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 बुढाना (हिसार)।
4. श्री संदीप मलिक, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी उकलाना (हिसार) अब रा0उ0वि0 बुढाना (हिसार)।
- ✓ 5. आई0टी0 सैल।

sha

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।


de



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

आदेश क्रमांक 5/37-2011 एच0आर0एम0ई0 (4)

दिनांक पंचकुला :-18.10.2016

श्री रोशन लाल, सहायक, श्रीमती उषा रानी सहायक तथा श्री बनारसी दास सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हिसार को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 22/170-2015 HRME (4) दिनांक 25.07.2016 को नियम-8 के तहत चार्जशीट जारी की गई थी जिसमें तीनों कर्मचारियों पर लगभग एक ही प्रकार के आरोप थे जिसमें तीनों कर्मचारियों को निदेशालय स्तर से उनके स्थानांतरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी में करने के आदेश पर किए गए थे लेकिन तीनों कर्मचारियों द्वारा निदेशालय के आदेशों की पालना बार बार लिखने उपरान्त भी नहीं की गई। उक्त चार्जशीट का उत्तर तीनों कर्मचारियों द्वारा निदेशालय में, जिला शिक्षा अधिकारी हिसार के माध्यम से दिनांक 15.09.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसमें तीनों कर्मचारियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपो को निराधार बताया।

जिसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त तीनों कर्मचारियों को दिनांक 15.12.2016 के लिए निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें से श्रीमती उषा रानी, सहायक द्वारा उक्त अवधि में अपने आप को अवकाश पर होने का हवाला दिया गया तथा श्री बनारसी लाल तथा श्री रोशन लाल, सहायक द्वारा बताया गया कि उन दोनो कर्मचारियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यभार मुक्त न करने के कारण आगे कार्यग्रहण नहीं किया गया। तीनों कर्मचारियों द्वारा दिए गए उत्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी हिसार की टिप्पणी मांगी गई जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी हिसार द्वारा अपने पत्र क्रमांक ई-3-17/1068 दिनांक 30.01.2017 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि उक्त तीनों कर्मचारियों अपने-अपने कार्य के प्रति पूर्ण तौर पर निष्ठावान है तथा इनकी कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है तथा अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा है।

अतः उपरोक्त अंकित स्थिति को मध्यनजर रखते हुए तीनों कर्मचारियों द्वारा निजी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मामले में कर्मचारियों द्वारा निदेशालय के आदेशों की पालना न करके कोताही की है। इसलिए मैं मामले में सक्षम अधिकारी होने के नाते तथा मामले में नरम रूख अपनाते हुए उक्त चार्जशीट को फाईल करने एवं तीनों कर्मचारियों को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी देने के आदेश पारित करता हूँ।

विरेन्द्र सिंह
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैंकेंडरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकूला 11/5/17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हिसार।
3. श्री रोशन लाल, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हिसार।
4. श्री बनारसी लाल, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हिसार।
5. श्रीमती उषा रानी, सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हिसार।
- ✓ 6. आई0टी0 सैल।

sh

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

sh



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
महेन्द्रगढ़, जींद।

यादी क्रमांक 4/4-2017 एच0आर0एम0ई0 (5)
दिनांक, पंचकुला :-

विषय:-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्थानांतरण के आधार पर नई नियुक्ति देने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई नियुक्ति स्थानांतरण आधार पर निम्नानुसार रिक्ति के विरुद्ध की जाती है। अन्य नियम व शर्तें कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति पत्र के अनुसार ही रहेंगी तथा कर्मचारी की वरिष्ठता वर्तमान आदेश के अनुसार मानी जाएगी:-

Sr. No.	Name & present posting Place	After Transfer new place of posting
1.	Smt. Bimla Devi [098554], Sweeper, GSSS Dulana (Mahendergarh)	[GSSS, Pali, Mahendergarh [3892]
2.	Sh. Surajbhan [098050], Sweeper-Cum-Chowkidar, GHS, Pandu Pindara (Jind) [01553]	GMS, Habat Pur (Jind) [1628]

-sd

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकुला 2-5-2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी।
- सम्बंधित हैडमास्टर/प्राचार्य। इस आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में करें।
- टैक्नोलॉजी ऑफिसर आई0टी0सैल को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेश ईन्टरनेट पर डलवाएं।
- सम्बंधित कर्मचारी।
- सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों का इन्द्राज निदेशालय द्वारा संचालित MIS Portal पर तुरंत अपडेट करें तथा इसका इन्द्राज वरिष्ठता छोड़ने बारे सेवापंजी में करें।
- कर्मचारी को उक्त स्थानांतरण की एवज में किसी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा
- यदि कर्मचारी को आगे कार्यग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो कर्मचारी अपने पूर्व के स्थान पर तुरंत कार्यग्रहण करेगा तथा इसका इन्द्राज अपने आहरण वितरण अधिकारी से MIS Portal पर अपडेट करवाएगा।
- कर्मचारी द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कर्मचारी अपनी पूर्व की वरिष्ठता की मांग नहीं करेगा/करेगी।

-sd

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला



**Directorate School Education**
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
कैथल।यादी कमांक 4/113-2016 एच0आर0एम0ई0 (5)
दिनांक, पंचकुला :- 1-5-2017

विषय:- चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी को स्थानांतरण के आधार पर नई नियुक्ति देने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नई नियुक्ति स्थानांतरण आधार पर निम्नानुसार रिक्ति के विरुद्ध की जाती है। अन्य नियम व शर्तें कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति पत्र के अनुसार ही रहेंगी तथा कर्मचारी की वरिष्ठता उक्त आदेशों से मानी जाएगी:-

Sr. No.	Name & present posting Place	After Transfer new place of posting	Remarks
1.	[096542] Karmo Devi, Class-IV, [2262] GSSS Haripura (Kaithal)	[2156] GGSSS Kaithal (Kaithal)	Against vacant post

-sd-

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला

पृष्ठांकन कमांक सम

दिनांक पंचकुला 1-5-2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सम्बंधित हैडमास्टर/प्राचार्य। इस आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे करें।
- टैक्नोलाजी ऑफिसर आई0टी0सैल को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त अंकित कर्मचारी का डाटा ठीक करके आदेश ईन्टरनेट पर डलवाएं।
- सम्बंधित कर्मचारी।

jha

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला

v